

COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I,
JAMUI

Satyanarayan Sheohare Case no.43C/2026
Addl. Sessions Judge-I-cum-Special-Judge SC &
ST Act., Jamui
Suman Kumari Vs. Onkar Yadav and Others

14.08.2026

अभिलेख में आज तिथि नियत होने के कारण अभिलेख मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ। परिवादिनी दिनांक 14.05.2026 से सतत् अनुपस्थित है। गत तिथि को यह आदेश हुआ था कि परिवादिनी को साक्ष्य लाने हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। उक्त आदेश के आलोक में अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है यह आपराधिक परिवाद दिनांक 07.05.2026 को दाखिल किया गया था। परिवाद पत्र लगभग 3 माह पूर्व दाखिल किया गया था तब से लेकर आज तक परिवादिनी ने अपना सथपथ बयान ना करवाया है और ना ही किसी जांच साक्षी का साक्ष्य करवाया है। परिवादिनी की सतत् अनुपस्थिति एवं उसके द्वारा मामले में साक्ष्य प्रस्तुत ना करना यह दर्शाता है कि उसे इस मामले में कोई अभिरुची नहीं है। अतः साक्ष्य के आभाव में यह आपराधिक परिवाद खारिज किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
जमुई।